झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
{पंचायत राज निदेशालय}

अधिसूचना

, 2002

एस0 ओ0 संख्या- 687 दिनांक- 1/6/02, 2002- झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 {झारखण्ड अधिनियम 06, 2001} की धारा 90 की उपधारा 1{ग} एवं 1{घ} द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल,, ग्राम रक्षा दल के संगठन, कर्तव्य एवं व्यवहार के लिए निम्नलिखित झारखण्ड ग्राम रक्षा दल नियमावली, 2001 जिसके प्रारूप का प्रकाशन धारा 131 की उपधारा {1} के अपेक्षानुसार पूर्व में किया जा चुका है, बनाते हैं ।

झारखण्ड ग्राम रक्षा दल नियमावली, 2001

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

{क} यह नियमावली, "झारखण्ड ग्राम रक्षा दल नियमावली, 2001" कही जायेगी ।

{ख} यह उस तिथि से प्रभावी होगा जो राज्य सरकार, झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

{ग} इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड में होगा ।

2. परिभाषाएँ ।

{क} "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम-2001,

{ख} "धारा" से अभिप्रेत है झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा,

{ग} "नियमावली" से अभिप्रेत है "झारखण्ड ग्राम रक्षा दल नियमावली-2001",

{घ} "जिला पंचायत राज पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियत अधिसूचित या प्राधिकृत पदाधिकारी,

{ङ} "प्रपत्र " से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र,

{च} "ग्राम पंचायत" से अभिप्रेत है अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन

शेष पृष्ठ..........2/ पर

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

स्थापित कोई ग्राम पंचायत;

(ख) "ग्राम पंचायत क्षेत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन स्थापित किसी ग्राम पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र;

(ग) "प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-16 के उपबंधों के अधीन जिला दंडाधिकारी द्वारा यथा विहित नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र;

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के प्रादेशिक /क्षेत्रीय/निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित/मनोनीत सदस्य;

(ङ) "ग्राम रक्षा दल" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-90(1)(ग) के उपबंधों के अधीन विहित रीति से संगठित ग्राम रक्षा दल;

(त) "दलपति" से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत के अंतर्गत विहित रीति से गठित ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के बीच से नियुक्त दलपति;

(थ) "क्षेत्र पदाधिकारी" से अभिप्रेत है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अधीन सुवीक्ष ग्राम रक्षा दल के सदस्यों में से विहित रीति से नियुक्त क्षेत्र पदाधिकारी;

(द) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है पुरुष एवं महिला;

(ध) "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत के निर्वाचित मुखिया एवं सदस्यों की समिति;

(न) "अनुदेशक" से अभिप्रेत है ग्राम रक्षा दल संगठित करने और उसके सदस्यों को प्रशिक्षण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए निदेशक, पंचायत राज द्वारा विशेष रूप से नियुक्त पदाधिकारी;

(ट) "उप राज्य आयोजक" से अभिप्रेत है ग्राम रक्षा दल को संगठित करने के लिए निदेशक, पंचायत राज द्वारा नियुक्त पदाधिकारी;

(ठ) "राज्य आयोजक" से अभिप्रेत है राज्य स्तर पर ग्राम रक्षा दल को संगठित करने के निमित्त पंचायत राज निदेशालय में नियुक्त पदाधिकारी;

(ड) इस नियमावली में व्यवहृत उन शब्दों तथा पदों का, जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है, वही अर्थ है जो अधिनियम में उसके लिए दिया गया है।

<u>ग्राम रक्षा दल का संगठन</u>:-एक दलपति की अधीनता में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये निम्नलिखित लोगों को मिलाकर एक ग्राम रक्षा दल संगठित किया जायेगा:-

(क) ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से विहित रीति से नियुक्त सभी क्षेत्र पदाधिकारी;

(ख) ग्राम पंचायत के मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ 18 वर्ष से 30 वर्ष के सभी व्यक्ति।

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

4. ग्राम रक्षा दल के सदस्यों का चयन:-

ग्राम रक्षा दल के सदस्य के रुप में भर्ती के लिए निम्नांकित अर्हतायें आवश्यक होंगी,

(i) वह नामांकन की तिथि को सदस्य की आयु 18 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम हो,

(ii) वह उस ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी हो,

(iii) वह ग्राम रक्षा दल द्वारा किये जानेवाले कार्यों को सम्पादित करने के लिये शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ हो,

(iv) ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति की राय में अच्छे नैतिक आचरण का हो,

2. भर्ती की प्रक्रिया:- नियम 4 में विहित अर्हता प्राप्त ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की सूची, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार दलपति द्वारा मुखिया के अनुमोदन से विहित प्रपत्र संख्या-1 में तैयार की जायगी तथा इस सूची को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जायेगा।

5. क्षेत्र पदाधिकारी का चयन

1. क्षेत्र पदाधिकारी के चयन के निमित्त नियम-4 ——— के अलावा निम्नांकित अर्हतायें होंगी,

(क) ऊँचाई 1.60 मीटर और सीना अप्रसारित 80 सेंटीमीटर से कम न हो, परन्तु यह कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऊँचाई 1 मीटर 57.5 सेंटीमीटर, सीना अप्रसारित 75 सेंटीमीटर एवं सामान्य महिलाओं के लिए मात्र ऊँचाई 1.55 मीटर तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 1.5 मीटर ऊँचाई से कम न हो,

(ख) नियम 11(क) (3) के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा में सफल एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होना अनिवार्य है।

(ग) शैक्षिक योग्यता प्रवेशिकोतीर्ण या उसके समकक्ष होना अनिवार्य है।

(घ) नियुक्ति की तिथि को 20 वर्ष से कम एवं 27 वर्ष से अधिक न हो,

2. दलपति के मंतव्य से कार्यकारिणी समिति द्वारा उपनियम 5(1) की अर्हतायें रखने वाले ग्राम रक्षा दल के सदस्यों में से चयन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार किया जायगा, जिसकी सूची मुखिया द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भेजी जायगी।

परन्तु उपर्युक्त सभी अर्हतायें समान होने पर क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति में प्रथमतः शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक योग्यता समान होने पर उम्र में वरीयता को प्राथमिकता दी जायगी।

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

6. दलपति की नियुक्ति

1. जिला पंचायत राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति,की स्वीकृति के अधीन कार्यकारिणी समिति क्षेत्र पदाधिकारी में से ग्राम रक्षा दल के संगठन एवं प्रशिक्षण के निमित्त एक दलपति को नियुक्त करेगी।

2. दलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया:-

§क§दलपति की नियुक्ति हेतु कार्यकारिणी समिति ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत उसी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में से, प्रशिक्षण प्राप्त सभी इच्छुक क्षेत्र पदाधिकारियों से, जो कम से दो वर्ष क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हों,आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी।

§ख§नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने संबंधी सूचना,ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत नियम 5 के अधीन चुने क्षेत्र पदाधिकारियों, को लिखित रूप से प्राप्ति रसीद लेकर दी जायगी।

§ग§प्राप्त आवेदन पत्रों पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यकारिणी समिति बहुमत से क्षेत्र पदाधिकारियों में से एक व्यक्ति को दलपति नियुक्त करेगी।

§घ§नियुक्ति की तिथि को चुने गये दलपति की उम्र 21 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

§ङ.§सभी अर्हतायें समान होने पर शैक्षिक योग्यता को प्राथमिकता दी जायेगी। दलपति की नियुक्ति हेतु आहूत बैठक में कार्यकारिणी समिति के वैसे सदस्य भाग नहीं लेंगे जिनके पुत्र अथवा पुत्री अथवा निकट संबंधी दलपति पद पर उम्मीदवार हों।

§च§उपर्युक्त रीति से नियुक्त दलपति की नियुक्ति की स्वीकृति हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्ताव,कार्यकारिणी समिति की बैठक की तिथि से 15 दिनों के अंदर संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भेजा जायगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपर्युक्त प्रस्ताव इस नियम के उपनियम §3§ में उल्लिखित जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष विचार हेतु रखेगा। चयन समिति दलपति के लिए निर्धारित अर्हता के आधार पर नियुक्त दलपति की जाँच कर,प्रस्ताव स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेगी। इसकी सूचना जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदा0/ ग्राम पंचायत के मुखिया एवं मुखिया द्वारा संबंधित व्यक्ति को दी जायगी।

3. जिला स्तरीय चयन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:-

§क§जिला पंचायत राज पदाधिकारी- अध्यक्ष

§ख§प्रमण्डलीय उप राज्य आयोजक,ग्राम रक्षा दल - सदस्य

§ग§जिला के प्रधान अनुदेशक -सदस्य

4. §क§जिला स्तरीय चयन समिति प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अधिकतम 90 दिनों

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

के अंदर स्वीकृति/अस्वीकृति पर विचार कर निर्णय लेगी।

(ख) ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त दलपति की नियुक्ति की तिथि दलपति के वरीयता का आधार होगी एवं उसी आधार पर वरीयता सूची का जिला-स्तर पर संधारण किया जायेगा।

7. (क) प्रथम अपील

जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध विक्षुब्ध व्यक्ति समिति के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ अपील कर सकेगा, जिसे जिला पदाधिकारी निर्णय हेतु निम्नांकित रूप से गठित समिति के समक्ष रखेंगे:-

(1) जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष

(2) प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज- सदस्य सचिव

(3) जिला असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत एक चिकित्सा पदाधिकारी ------ सदस्य

(4) प्रमण्डलीय उप राज्य आयोजक ----- सदस्य

(ख) अंतिम अपील:- नियम-7(क) में जिला स्तर पर गठित समिति के निर्णय के विरुद्ध विक्षुब्ध द्वारा निदेशक, पंचायत राज के समक्ष, 7(क) में गठित समिति के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर, अपील दायर की जा सकेगी तथा निदेशक, पंचायत राज का निर्णय अंतिम होगा।

8. ग्राम रक्षा दल का कर्त्तव्य

क(1) ग्राम रक्षा दल के प्रत्येक सदस्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायत के अंदर-
- शांति व्यवस्था बनाये रखने, अनुशासन की प्रवृति जागृत करने तथा ग्राम पंचायत के निवासियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में सहायता दें।

(2) मुखिया के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अंतर्गत दलपति के आदेश से दल के सदस्य को निम्नांकित समस्त या किसी कर्त्तव्य का पालन करना आवश्यक होगा।

यथा:-(i) सामान्य पहरा तथा प्रतिपालन;

(ii) आकस्मिक घटनाओं यथा दुर्भिक्ष, भूकम्प, बाढ़, बाँध या पुल का टूटना, महामारी का फैलना, चोरी डकैती आदि का सामना करना;

(iii) ग्राम पंचायत के अन्तर्गत सार्वजनिक शांति तथा व्यवस्था बनाये रखना;

(iv) अपराधों पर नियंत्रण रखना;

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

(v) जानमाल का संरक्षण;

(vi) जिससे शांति भंग होने की संभावना हो, ऐसे लोक विवादों के संबंध में प्रतिवेदन देना एवं उसे रोकना;

(vii) प्राथमिक उपचार प्रदान करना एवं आहतों को अस्पताल ले जाने में सहायता करना;

(viii) मेले, बाजारों और हाटों का संगठन और नियमन;

(ix) सूचना, सम्मनों इत्यादि का तामिला;

(x) जनगणना, कृषि गणना, पशु गणना, जन्म मृत्यु या इस प्रकार के अन्य आंकड़ों के संग्रह में सहायता;

(xi) लोकसभा/विधानसभा के निर्वाचन के अवसर पर कर्तव्यों का निर्वहन;

(xii) ग्राम पंचायत को, सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कर्तव्यों का पालन करना;

(ख) क्षेत्र पदाधिकारी का कर्तव्य:- ग्राम रक्षा दल का क्षेत्र पदाधिकारी निम्नांकित कर्तव्यों का पालन करेगा:-

(i) नियम 8(क) में विहित ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण,

(ii) ग्राम रक्षा दल के सदस्यों का प्रशिक्षण,

(iii) दलपति द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का सम्पादन,

(ग) ग्राम रक्षा दल के दलपति का कर्तव्य:- ग्राम रक्षा दल के दलपति के निम्नांकित कर्तव्य होंगे:-

(i) ग्राम रक्षा दल के सदस्य एवं क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा सम्पादित कार्यों के संबंध में निर्देशन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण,

(ii) सरकार/मुखिया द्वारा यथा निर्दिष्ट सूचनाओं का संकलन एवं प्रेषण,

(iii) ग्राम पंचायत क्षेत्र में शांति भंग को रोकने के संबंध में जब कोई आरक्षी पदाधिकारी या सरकार का अन्य पदाधिकारी कर्तव्यरत हो तो मुखिया या मुखिया की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी समिति के सदस्य के परामर्श से दलपति द्वारा ऐसी सहायता दिया जाना, जैसी आरक्षी पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी आवश्यक समझे।

9. (i) मुखिया के आदेशों एवं उनके अधीन दिये गए निदेशों का पालन दलपति करेगा तथा दलपति व क्षेत्र पदाधिकारी के अधीन दल के अन्य सदस्य इनके आदेशों का पालन करेंगे तथा ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की सेवायें किसी भी समय ली जा सकेगी।

(ii) दल के सभी सदस्य अपने से वरीय पदाधिकारी, आरक्षी पदाधिकारी अथवा सरकार के अन्य पदाधिकारी, पंचायत सेवक एवं अन्य सेवकों के आदेशों का, जिसके अधीन वह है,

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

और जिसकी उनकी सेवायें सौंपी गयी हैं, तत्परता से पालन करेंगे।

10. कर्तव्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए दलपति दल को समूहों में विभाजित कर सकता है तथा प्रत्येक समूह को, दल के सदस्यों में से ही चुने वर्गीय प्रभारी के प्रभार में रख सकता है।

(1) विभिन्न वर्गों के अधोलिखित नाम होंगे:-

(क) अग्नि दस्ता,

(ख) रात्रि प्रहरी दस्ता,

(ग) शांति दस्ता,

(घ) प्राथमिक उपचार दस्ता, और

(ङ) अन्य ऐसे दस्ते जिनको समय-समय पर मुखिया के परामर्श से दलपति गठित करेंगे।

11. (क) ग्राम रक्षा दल के सदस्यों/क्षेत्र पदाधिकारियों का प्रशिक्षण:-

(1) दल के प्रत्येक सदस्य/क्षेत्र पदाधिकारी को संबंधित विषयों पर नियम 8(क) (ख) में वर्णित कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निदेशक, पंचायत राज द्वारा निर्धारित किया जायेगा। निदेशक, पंचायत राज द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के निर्देशन एवं देख-रेख में प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(3) ग्राम रक्षा दल के सदस्य एवं क्षेत्र पदाधिकारी को प्रशिक्षण के अंत में निर्धारित परीक्षा में सफल होने पर विहित प्रपत्र-2 में प्रमाण-पत्र मुखिया तथा प्रशिक्षण के प्रभारी पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से दिया जायेगा।

(4) (i) प्रशिक्षण अथवा कर्तव्य के लिए जाने आने और कर्तव्य सम्पादन की अवधि में, दलपति, क्षेत्र पदाधिकारी और दल के सदस्य निर्धारित वर्दी का उपयोग करेंगे तथा साज-सामान के साथ रहेंगे।

(ii) वर्दी की अनुपलब्धता की स्थिति में दल के सदस्य मुखिया द्वारा निर्धारित प्रतीक (बाजुबंद/बिल्ला) का प्रयोग कर सकेंगे।

(iii) इन नियमों के अनुसार निर्धारित वर्दी से भिन्न वर्दी या प्रतीक दल के सदस्य धारण नहीं करेंगे।

(5) प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात् दल के सदस्य को सप्ताह में कम से कम एक बार शारीरिक व्यायाम के लिए उपस्थित होना अपेक्षित होगा।

(6) ग्राम रक्षा दल के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक तीन महीने पर एक बार दो घंटे का पूर्व में दिये गये प्रशिक्षण का पूर्व अभ्यास कराया जायेगा जो मुखिया द्वारा दलपति के परामर्श से निश्चित किया जायेगा।

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

(ख)(i) दलपति का प्रशिक्षण:- नियुक्त दलपति को सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ii) प्रशिक्षण की अवधि में दलपति को निर्धारित परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा प्रशिक्षणोत्तीर्ण होने पर उन्हें विहित प्रपत्र-2 में एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा जो प्रशिक्षण के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निर्गत होगा।

(iii) प्रशिक्षण का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।

12. दलपति सहित दल के अन्य सभी सदस्य विहित प्रपत्र-3 में प्रतिज्ञान करेंगे और ऐसा प्रतिज्ञान करने के उपरांत, एक प्रमाण पत्र जिसपर मुखिया और जिला पंचायत राज पदा० का हस्ताक्षर एवं मुहर होगा, पाने के अधिकारी होंगे।

13. दलपति नियम 11(ख)(ii) के अधीन प्रपत्र-2 में प्रमाण पत्र पाने के पश्चात् यथाशीघ्र ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर दल के सदस्यों एवं क्षेत्र पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षणचर्या की व्यवस्था करेगा।

14. दल के सदस्यों की अनुमोदित सूची की दो प्रति प्रपत्र संख्या-1 में संधारण के लिए दलपति उत्तरदायी होगा जो उसके स्तम्भ में क्षेत्र पदाधिकारी सहित दल के सभी सदस्यों द्वारा उपार्जित पुरस्कार अथवा दिये गये दंड का भी उल्लेख करेगा।

15. दल के सदस्य को संकटकाल में किसी भी समय कार्य पर बुलाया जा सकता है। खतरे की घंटी बजने अथवा अन्यस्रोत से सूचित करने पर यदि कोई सदस्य निर्दिष्ट स्थान पर संतोषजनक स्पष्टीकरण दिये बिना एकत्रित होने में असफल रहता है तो अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन माना जायगा।

16(i) नियम 8 के उप नियम (2) के अनुसार दल के प्रत्येक सदस्य को दलपति मुखिया की सहमति से प्रत्येक माह आवश्यकतानुसार कम से कम महीना में तीन दिन कर्तव्य पर उपस्थिति सुनिश्चित करेगा तथा प्रत्येक वर्ष नियम 11(ख) के उप नियम-(ii) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र धारक को वार्षिक रैली में भी भाग लेना अपेक्षित होगा।

(ii) दल का कोई सदस्य सामान्यतः अपने ग्राम पंचायत में ही कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, किन्तु संकटकाल अथवा आवश्यकता पड़ने पर अन्य विशिष्ट कार्यों के सम्पादन के लिए अन्य ग्राम पंचायतों में भी, प्राधिकृत विभागीय पदाधिकारी के निदेश से, कर्तव्य के निर्वहन के लिए बुलाया जा सकता है।

17. ग्राम रक्षा दल के सदस्य एवं क्षेत्र पदाधिकारी की पदमुक्ति

किसी मामले में कदाचार प्रमाणित होने पर सदस्य को, मुखिया तथा क्षेत्र पदाधिकारी की कार्यकारिणी समिति, दलपति की अनुशंसा पर सम्बंधित सदस्य या क्षेत्र पदाधिकारी

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

को नियम 17{1} {घ} में उल्लेखित दण्ड या अधिकतम पदमुक्त, दलपति से परामर्श कर, कर सकेगी। यथा:-

{i} {क}अपने वरिष्ठ पदाधिकारी के विरुद्ध बल प्रयोग करता है, या बल प्रयोग करने की धमकी देता है या अनुचित भाषा का प्रयोग करता है;

{ख}किसी स्थायी आदेश या अपने वरिष्ठ पदाधिकारी के विधिसंगत आदेश की अवज्ञा करता है अथवा दलपति या अपने दल के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा दिये गये किसी सामान्य आदेशों का उल्लंघन करता है;

{ग}नशे की अवस्था में पाया जाता है।

{ii}बिना पर्याप्त कारण के निश्चित समय पर परेड में उपस्थित न हो, सौंपे गये कर्तव्य का पालन न करे या ऐसे कर्तव्यों के समय पद का परित्याग कर दें;

{iii}बिना पर्याप्त कारण के प्रशिक्षण के किसी भाग को जिसका पूरा करना इन नियमों अथवा उनके अधीन अपेक्षित है, पूरा न करें;

{iV}इस अधिनियम के अन्तर्गत या अन्य प्रकार से उसकी अभिरक्षा में रखे गये किसी व्यक्ति के साथ बल प्रयोग करे या उसे छोड़ दे।

{V}यदि पंचायत या सरकार की सम्पत्ति का प्रभार दिया गया हो और वह उसे अवैध रूप से व्यक्तिगत हित के लिए बरबाद करे, अवैध रूप से बेच डालने की अनुमति दे, जानबूझकर क्षति पहुँचाने या असावधानी से उसे खो दे या नष्ट करे।

{Vi}अपने कमान या प्रभार के व्यक्तियों की संख्या के विषय में या अपने प्रभार के रुपये, कपड़े, सामान, भंडार या अन्य सम्पत्तियों के विषय में जानबूझकर असत्य विवरणी या प्रतिवेदन दें।

{Vii}अपने कर्तव्यों के पालन में ऐसी प्रतिश्रुति दे जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि असत्य या विश्वास नहीं करता है कि सत्य है।

{Viii}अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध जानबूझकर कोई ऐसा अभियोग उपस्थित करता है जिसे वह जानता या विश्वास करता है कि असत्य है, या जिसपर विश्वास नहीं करता कि सत्य है।

{ix}दी गई वर्दी, बिल्ला या सामग्रियों की सुरक्षा करने में असमर्थ रहे।

{x}जब कर्तव्यस्थ हो, जनता के प्रति निष्ठा न दिखाये तो,

परन्तु यह कि हटाये जाने से पूर्व संबंधित को अपने बारे में स्थिति स्पष्ट करने का मौका जरूर दिया जायेगा।

17{1} {ख} इस अधिनियम के अनुसार या इसके अधीन किसी अन्य दण्ड के आरोपण पर बिना आघात पहुँचायें, दल के सदस्यों द्वारा कर्तव्य-विमुखता के लिए अधोलिखित

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

दण्डों में से एक या अधिक दिया जा सकता है।

(i) भर्त्सना;

(ii) ब्लैक मार्क;

(iii) कमशुल्क (लेबर ड्यूटी);

(iv) पदावनति।

18. क्षेत्र पदाधिकारी की पदमुक्ति के विरूद्ध अपील

(क) प्रथम अपील:-पंचायत कार्यकारिणी समिति के निर्णय के विरूद्ध विक्षुब्ध व्यक्ति समिति के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर—— संबंधित जिला पंचायत राज पदा० के यहाँ अपील कर सकेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी निर्णय हेतु नियम 6(3) के द्वारा गठित समिति के समक्ष रखेगा।

(ख) द्वितीय अपील:-नियम 18(क) के विरूद्ध विक्षुब्ध व्यक्ति द्वारा संबंधित जिला पदा० के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील कर सकेगा। जिला पदाधिकारी निर्णय हेतु नियम 7(क) में गठित समिति के समक्ष रखेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

19. दलपति, ग्राम रक्षा दल की पदमुक्ति

(1) यदि कोई दलपति:-

(क) अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे;

(ख) मुखिया के विधि सम्मत आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करे;

(ग) पंचायत/सरकारी कार्यों के निर्वहन की उपेक्षा करे तथा पंचायत से संबंधित वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के तत्संबंधी आदेशों का जानबूझकर अनुपालन नहीं करें;

(घ) अपने से श्रेष्ठ पदाधिकारी, ग्राम पंचायत से संबंधित निर्वाचित सदस्यों के विरूद्ध बल प्रयोग करे अथवा बल प्रयोग की धमकी दे या अनुचित भाषा का प्रयोग करे या अशिष्टता का प्रदर्शन करें;

(ङ.) कर्तव्यपालन के दौरान नशे का सेवन करे;

(च) किसी अपराधिक मामले में संलग्न हो तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा आरोप की संपुष्टि की गई हो;

(2) ग्राम पंचायत अथवा सरकारी सम्पत्ति, कोष का जानबूझकर दुरूपयोग अथवा नष्ट करने में शामिल हो अथवा साजिश में शामिल होने के संबंध में आरोपित हो; तो दलपति के विरूद्ध कार्रवाई करने के पूर्व मुखिया द्वारा दलपति के स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्य-कारिणी समिति के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव रखा जायगा। आरोप प्रमाणित

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

होने पर कार्यकारिणी समिति यथानुसार दलपति के विरुद्ध चेतावनी/जुर्माना/निलंबन/पदमुक्ति की अनुशंसा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को करेगी। मुखिया द्वारा दलपति को स्वयं ही पदमुक्त नहीं किया जायेगा।

§3§मुखिया द्वारा दिये गये चेतावनी के बावजूद दलपति के आचरण एवं कार्यों में सुधार नहीं होने पर कार्यकारिणी समिति द्वारा उसे पदमुक्त करने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दस दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पास भेजा जायेगा।

§4§जिला पंचायत राज पदाधिकारी पूछे गए स्पष्टीकरण/आरोपों की जाँच करेंगे अथवा अधीनस्थ अपने स्तर से किसी पदाधिकारी से करायेंगे।

§5§जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जाँच के संबंध में आरोप प्रमाणित होने पर पदमुक्ति की कार्रवाई करेगा।

§6§§i§जिला पंचायत राज पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध विक्षुब्ध व्यक्ति निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ कर सकेगा जो निर्णय हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष करेंगे।

§ii§द्वितीय अपील:-जिला पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध विक्षुब्ध व्यक्ति निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील निदेशक, पंचायत राज, झारखण्ड के समक्ष कर सकेगा तथा निदेशक, पंचायत राज का निर्णय अंतिम होगा।

§7§संबंधित दलपति जिसे पदमुक्त किया जायेगा उसे विहित प्रपत्र संख्या-4 में पंचायत स्तर पर पदमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।

20. <u>अनिवार्य सेवा मुक्ति</u>

§क§ दल का सदस्य एवं क्षेत्र पदाधिकारी 30 वर्ष की उम्र पार करने पर स्वतः पदमुक्त समझे जायेंगे।

§ख§58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दलपति को अनिवार्य रूप से जिला पंचायत राज पदा० द्वारा पदमुक्त कर दिया जायेगा।

21. ग्राम रक्षा दल संगठन के पदधारकों द्वारा अपराध कर्मियों का मुकाबला करते हुए एवं अन्य जोखिम भरे कर्तव्यों के सम्पादन के दौरान वीरगति पाने/घायल होने की स्थिति में उनके आश्रितों को एक मुश्त विशेष सहायक अनुदान, विहित रीति से प्राप्त अनुशंसा तथा घटना की गंभीरता के आधार पर अलग से सरकार द्वारा निर्धारित की जायगी।

22. §क§ कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु से उपर होने पर दल का सदस्य एवं क्षेत्र पदाधिकारी नहीं रहेगा;

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

परन्तु यह कि दल के सदस्य को किसी समय स्थायी शारीरिक मानसिक अपंगता जो कि इस नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में अवरोधक हो, तो मुखिया द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से पदमुक्त किया जा सकेगा।

{ख} यदि कोई व्यक्ति दल का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह दलपति को अपना नामांकन का प्रमाण पत्र, दी गई वर्दी, भुजबन्ध और अन्य सामग्रियाँ लौटा देगा।

23. निदेशक, पंचायत राज, झारखण्ड दलपति, क्षेत्र पदाधिकारी या दल के किसी सदस्य को जिला से अनुशंसा प्राप्त होने पर अच्छा काम करने के लिए प्रशस्ति पत्र सरकार की ओर से दे सकते हैं;

24 {क} निदेशक, पंचायत राज, झारखण्ड अच्छा कार्य करने के लिए दल के किसी सदस्य, क्षेत्र पदाधिकारी या दलपति को अपने पास रखे गये विवेक अनुदान से अधिकतम 500 {पाँच सौ} रुपये तक का पुरस्कार दे सकेंगे परन्तु किसी अतिविशिष्ट मामले में पुरस्कार की राशि सरकार के पूर्व अनुमोदन से बढ़ायी जा सकेगी।

{ख} पुरस्कार नगद अथवा वस्तु में दिया जा सकेगा। दल के किसी सदस्य को पुरस्कार देना पूर्णतया निदेशक, पंचायत राज, झारखण्ड के विवेकानुसार होगा।

{ग} दल के किसी सदस्य या दलपति को पुरस्कार देने के आदेश की एक प्रति सम्बद्ध जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भेज दी जायगी।

{घ} पुरस्कार देने के आदेश की एक प्रति महालेखाकार, बिहार को भी पुरस्कार पाने वाले के पते और यथास्थिति नगद में पुरस्कार की राशि या वस्तु में दिये गये पुरस्कार के मूल्य के संबंध में विवरण के साथ भेजी जायगी।

{ङ} पुरस्कार देने के आदेश की एक प्रति पाने पर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी कोषागार से टी.सी. फार्म सं0-37 पर पुरस्कार की राशि की निकासी करेगा।

टिप्पणी:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दलपति और सदस्यों को पुरस्कार देने के प्रयोजन के लिए निकासी और व्ययन पदाधिकारी घोषित किये जाते हैं।

{च} पुरस्कार का वितरण, प्रशंसा प्रमाण-पत्र या नगद अथवा वस्तु में पुरस्कार एक वर्ष में इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से आयोजित समारोह या वार्षिक रैली में समुचित ढंग से किया जायेगा।

{छ} उचित मुद्रांकित रसीदें नगद में पुरस्कार पानेवाले व्यक्ति या व्यक्तियों से प्राप्त की जायेंगी।

{ज} सुसेवा-चिन्ह {गुड सर्विस मार्क्स} और प्रशंसा {कमेन्डेशन्स} सम्बद्ध सदस्यों की सेवा अभिलेख में दर्ज किये जायेंगे।

25. {क} मुखिया दल के किसी सदस्य, क्षेत्र पदाधिकारी या दलपति को जो किसी प्राकृतिक

अथवा संकटकाल के समय या संकटकाल में बहुमूल्य सेवाएँ करता है, प्रशस्ति पत्र दे सकता है ।

(ख) उप नियम (क) के अनुसार कोई प्रशस्ति पत्र दल के सदस्य या क्षेत्र पदाधिकारी को दलपति की सिफारिश पर दिया जायेगा ।

26. दल से संबंधित सभी प्रकार के व्यय ग्राम पंचायत वहन करेगी ।

27. आरक्षी अधीक्षक या दूसरे पदाधिकारियों जिसे सरकार समय-समय पर नियुक्त करे, की सहायता से जिला पदाधिकारी जिला के भीतर दल का सामान्य अधीक्षण निर्देश और नियंत्रण करेगा ।

28. उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत पुलिस पदाधिकारी दल का निरीक्षण कर सकते हैं, और अपने निरीक्षण की टिप्पणीयाँ जिला पंचायत राज पदाधिकारी और मुखिया को भेज सकते हैं ।

29. इस नियमावली के लागू होने की तिथि के पूर्व बिहार पंचायत ग्राम स्वयंसेवक दल नियमावली 1949 के तहत नियुक्त दलपति पूर्व की भाँति कार्यरत माने जायेंगे, जबतक की उनकी सेवा दलपति पद पर पूरी नहीं हो जाती है या उनकी नियुक्ति अन्य पदों पर नहीं हो जाती है ।

30. यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसर की अपेक्षानुसार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत हो ।

(संचिका संख्या-3ए/नि1-174/2001)
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव, 30/5/2002
ग्रामीण विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक-3ए/नि1-174/2001------687-----------/राँची, दिनांक- 1/6/02

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की पाँच सौ प्रतियाँ अविलम्ब पंचायत राज निदेशालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

सरकार के सचिव, 31/5/2002
ग्रामीण विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

कु0 पृ0 30

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

ज्ञापांक-3प/नि।-174/2001—687———/राँची, दिनांक- 1/6/02

प्रतिलिपि:- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित ।

सरकार के सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक-3प/नि।-174/2001—687———/राँची, दिनांक- 1/6/02

प्रतिलिपि:- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/झारखण्ड विधान सभा/निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

प्रपत्र संख्या- 1
(नियम -4(2) देखें)

<u>ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की सूची</u>

ग्राम पंचायत का नाम-　　　　प्रखण्ड का नाम-　　　　अनुमण्डल का नाम -　　　　जिला का नाम-

क्रम संख्या	ग्राम रक्षा दल के सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	उम्र	भर्ती की तिथि	पुरस्कार या दण्ड का उल्लेख	मुखिया का हस्ताक्षर	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

प्रपत्र संख्या- 2

{नियम 11{क} {3} एवं नियम 11{ख} {2} देखें}

दलपति/ ग्राम रक्षा दल के सदस्य /क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....पिता..................

....दलपति/ग्राम रक्षा दल के सदस्य/ क्षेत्र पदाधिकारी, ग्राम पंचायत प्रादेशिक

निर्वाचन क्षेत्र................प्रशिक्षणोपरांत निर्धारित परीक्षा दिनांक..............

को उत्तीर्ण किये ।

प्रशिक्षण के
प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

मुखिया का हस्ताक्षर
एवं मुहर

नोट:-दलपति के प्रमाण पत्र में केवल प्रशिक्षण के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा।

प्रपत्र संख्या- 3

{नियम 12 देखें}

दलपति/ग्राम रक्षा दल के सदस्य/क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा प्रतिज्ञान का प्रपत्र

मैं..........................., दलपति/ग्राम रक्षा दल के सदस्य/क्षेत्र पदाधिकारी,

इसके द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि.......................{पंचायत का नाम} और विधि द्वारा स्थापित अपने देश की सरकार की सेवा श्रद्धापूर्वक और सच्चाई से करूँगा, ईश्वर मेरी सहायता करें।

दलपति/ग्राम रक्षा दल के सदस्य/
क्षेत्र पदाधिकारी का
हस्ताक्षर

created using
BCL easyPDF
Printer Driver

प्रपत्र संख्या- 4

{नियम 19 {7} देखें }

कुलपति के पदमुक्ति का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... {कुलपति का नाम},पिता.......................... {पिता का नाम}, पता.......... ....जो ग्राम पंचायत.................. {पंचायत का नाम}, के कुलपति के पद पर नामांकित थे, को ....{कारण का उल्लेख} दिनांक-.................से पदमुक्त किया जाता है।

मुखिया का हस्ताक्षर
एवं मुहर।

created using
BCL easyPDF
Printer Driver